HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 17136/2026
CNR: RJHC021042672026 | URN: CRLMB / 31592U / 2026

Umed Singh Meena So Shri Ram Lal, Aged About 41 Years, R/o Village Sisola, Police Station Baroni, District Tonk (Rajasthan) Presently Confined In District Jail Tonk

----Petitioner

Versus

The State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Mohit Balwada, Adv. Mr. Aditya Raj, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh Shekhawat, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

26/11/2026

1- प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र धारा 483 बी एन एस एस के अन्तर्गत पुलिस थाना **पीपलू जिला टोंक** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **58/2026** अपराध अन्तर्गत धारा **305(ई)** भारतीय न्याय संहिता व 4/21 एमएमडीआर में पेश किया गया है।

2. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसे मिथ्या रूप से इस प्रकरण में आलिप्त किया गया हैं। प्रकरण में बाद अनुसंधान आरोप पत्र पेश हो चुका है, अभियुक्त **दिनांक 08.10.2026** से अभिरक्षा में है, प्रकरण के निस्तारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने एवं उसे जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया गया।

3. विद्वान लोक अभियोजक ने प्रार्थना पत्र का विरोध किया तथा अपराध की गंभीरता को देखते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

Digitally signed by
MURARI LAL
SHARMA
Date: 2026.11.26
16:38:20 IST

4. दोनों पक्षों के तर्को के संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया एवं मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार किया।

5. यद्यपि अभियुक्त का आपराधिक रिकोर्ड है, लेकिन हस्तगत मामले में अभियुक्त के विरूद्ध अवैध रूप से बजरी के खनन व उसके परिवहन का आरोप है। शास्ति की राशि व कंपाउंडिंग फीस अभियुक्त पक्ष द्वारा जमा कराई जा चुकी है।

6. प्रकरण में उपलब्ध समस्त तथ्यात्मक स्थिति तथा प्रस्तुत किये गये तर्कों, अभिरक्षा की अवधि एवं प्रकरण के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के इस प्रक्रम पर गुणावगुण पर कोई राय व्यक्त किए बिना प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

7. परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त उम्मेद सिंह मीणा पुत्र रामलाल की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु **एक लाख रूपये** का व्यक्तिगत बंधपत्र व **पचास–पचास हजार रूपये** की दो सुदृढ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावें।

(UMA SHANKER VYAS),J

Crt_7/D-A/52/Murari Lal Sharma